

तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किए गए :

1. प्रभारी, विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ को प्रधान कर्मचारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट/के प्रस्तुतीकरण/समय समय पर संविदा मजदूर के वापसी एवं संविदा मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम के शर्तें एवं अन्य कार्यालय प्रक्रिया के तथ्य को देखने का दायित्व दिया जाता है।

संविदा मजदूर के उक्त पंजीकरण रिपोर्ट/वापसी आदि से संबंधित सभी फाइल/दस्तावेजों का रख-रखाव विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा किए जाएं।

2. नियंत्रण अधिकारी जो अपने अंतर्गत संविदा आधार पर मजदूरी कार्य पर लगाए हैं, वे कार्यरत मजदूर से संबंधित आवश्यक सूचना/आंकड़े को नियमित रूप से प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ, विश्वभारती को तथा सहायक मजदूर आयुक्त (केंद्रीय), रानीगंज, दुर्गापुर को यथा संभव भेजें।

हस्ता./-

सं. आईजी/अधि/156/141

दिनांक : 19.01.2017

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

सेवा में,

1. श्री अशोक कुमार महतो, संयुक्त कुलसचिव एवं प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:

1. सभी निदेशक/प्रिंसिपल/भवनों के अध्यक्ष/विभाग/केंद्र/कार्यालय
2. छात्र कल्याण के अध्यक्ष
3. प्रोक्टर
4. वित्त अधिकारी
5. सभी संयुक्त कुलसचिव एवं उप कुलसचिव
6. विश्वविद्यालय अभियंता
7. आंतरिक लेखा परीक्षा पदाधिकारी
8. कुलपति के गोपनीय सचिव
9. सहायक कुलसचिव एवं प्रभारी, जन संपर्क
10. मुख्य सुरक्षा अधिकारी
11. सहा. कुलसचिव, प्रो-वाईस चांसलर का कार्यालय
12. कुलसचिव के निजी सचिव

13. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।